

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 628/2026

Rakesh Son Of Babu Lal,

----Appellant

Versus

Ashok Kumar Son Of Late Babu Lal,

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Pawan Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

16/02/2026

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा नियमानुसार पी एफ नोटिस व डाक खर्च पेश किये जाने पर प्रत्यर्थीगण को अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र के नोटिस सामान्य प्रक्रिया के साथ साथ स्पीड पोस्ट से जारी किये जावे।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता कि विचारण न्यायालय से अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का अभिलेख तलब किया जावे। अभिलेख तलबी के क्रम में जारी पत्र विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को निवेदन अनुसार दस्ती प्रदान किया जावे।

पत्रावली दो सप्ताह बाद न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J